पत्रांक– (को01)/व0–01/2025– ....

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा

प्रेषक,

दिनेश कुमार चौधरी,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नवादा।

सेवा में,

प्रभारी प्रधानाध्यापक,
उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनौल, नरहट।

नवादा, दिनांक वीं अप्रैल, 2025 ई0।

विषयः– सरकारी महिला कर्मी/बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आपके विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापिका, संगीत विषय (9–10) के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि गर्भावस्था काल में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश आपके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है, यद्यपि एक महिला को इस अवधि में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उक्त परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका सरकारी कर्मी हैं। वित्त विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या 3/ए0 2–01/92/1977वि0 दिनांक 04.04.1992 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा यह निर्णय निर्गत है कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में दो दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में निदेश है कि उक्त वित्त विभागीय परिपत्र में निहित प्रावधान एवं निदेश के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
(दिनेश कुमार चौधरी)
जिला शिक्षा पदाधिकारी
नवादा

ज्ञाप संख्या 821 नवादा, दिनांक 17 वीं अप्रैल, 2025 ई0।

प्रतिलिपिः– सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, सभी उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनौल, नरहट को छोड़कर), नवादा जिला एवं सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधान शिक्षक, सभी प्रारंभिक विद्यालय, नवादा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, नवादा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नवादा